बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–4/आ0 वि0 (संधा0)–01–03/2017–

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, (भा0प्र0से0)
निदेशक।

184

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,,
जमुई।

पटना, दिनांक– 31/3/18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों (अनु0 जाति आवासीय उच्च विद्यालय इन्दपेय) के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में ₹32,12,364/–(बत्तीस लाख बारह हजार तीन सौ चौसठ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में विभागीय आवंटनादेश संख्या–18, दिनांक 06.06.2017 द्वारा पूरे वर्ष के लिए राशि आवंटित की गई है।

2– जिला कल्याण पदाधिकारी, गया द्वारा (पत्र सं0–549 दिनांक 31.03.2018) कुल 88,92,205/–रू0 प्रत्यार्पित किया गया है जिसे स्वीकार किया जाता है। जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पत्र सं0–878 दिनांक–26.12.2017 के आलोक में (वेतन एवं अन्य भत्ते मद में) ₹32,12,364/– (बत्तीस लाख बारह हजार तीन सौ चौसठ रू0) मात्र की पुर्नआवंटित राशि आवंटित की जाती है।

3– कुल भारित व्यय राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय शीर्ष मांग सं0–44–2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनु0 जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0003–आवासीय विद्यालय–कूट सं0–0003.01.01–वेतन, 0003.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04–मकान किराया भत्ता, 0003.01.05 परिवहन भत्ता, 0003.01.06–चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड–सं0–44–2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होगें।

5– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–एम0–04–05/–98–2607 वि(2) दिनांक 20.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6– संबंधित विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2017–18 पूर्व में आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा, उन्हीं विद्यालयों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों से संतुष्ट होने के पश्चात संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा रशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

7– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा साथ करेंगे।

8– आवंटनादेश में निहित निदेशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 31/3/18
निदेशक।

ज्ञापांक– 4/आ0 वि0 (संधा0)–01–03/2017– 184 पटना, दिनांक 31/3/18

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/3/18

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।